न्यायालय अति0जिला कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 10/2024

प्रविष्टि दिनांकः– 18.09.2024

ग्राम पंचायत देवडावास पंचायत समिति देवली तहसील दूनी जिला टोंक जरिये सरपंच धर्मराज पुत्र रामसुख मीणा निवासी कंवरावास ग्राम पंचायत देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक(राज.)

...........निगरानीकर्ता

बनाम

देवीलाल पुत्र गोवर्धन मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज.

....................विपक्षी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत एक्ट 1994 बाबत निरस्त किये जाने पट्टा आदेश दिनांक 20.06.2024 मिसल संख्या 04/2023–24 ग्राम पंचायत देवडावास

उपस्थितः (1) श्री संजय कुमार जैन, अभिभाषक निगरानीकर्ता
(2) श्री शराफल अली खान, अभिभाषक विपक्षी।

निर्णय दिनांक 30/5/25

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत देवडावास पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.06.2024 को अपने संकल्प संख्या 23 से भूमि खसरा नम्बर 555 वाके ग्राम जलेरी तहसील दूनी में 1611 वर्गफीट यानि 179 वर्गगज का पट्टा क्रमांक 02 विपक्षी देवीलाल पुत्र गोवर्धन मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक को जारी किया गया तथा उसके पश्चात् विपक्षी ने उक्त पट्टा विलेख को उपपंजीयक दूनी के यहां पंजीबद्ध करवा लिया। उक्त पट्टे को गलत तथ्यों के आधार पर जारी होना बताते हुए निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत से पट्टे संबंधित पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त पट्टा विलेख वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी ने ग्राम पंचायत के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा आबादी भूमि का जारी करवा लिया जबकि उक्त भूमि का जो पट्टा जारी किया गया है वह भूमि आबादी भूमि में नहीं है बल्कि वह भूमि खसरा नं. 549 है जो कि सिवायचक भूमि है। सिवायचक भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। उक्त पट्टा सहवन व भूलवश आबादी भूमि के स्थान पर सिवायचक भूमि में से जारी करने में आ गया। ग्राम पंचायत को विधि अनुसार जो भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में होती है उसी का पट्टा जारी करने का विधिक अधिकारी होता है।

अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त पट्टे की जांच पूर्ण हो चुकी है और उक्त पट्टा पब्लिक पॉलिसी के विरूद्ध जारी हुआ है। ग्राम पंचायत की बैठक में सम्पूर्ण कोरम द्वारा उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है और उक्त प्रस्ताव के तहत विपक्षी को जरिये पंजीकृत नोटिस दिनांक 20.07.2024 से सूचित भी किया जा चुका है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी देवीलाल पुत्र गोवर्धन मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 02 मिसल संख्या 04/2023–24 को निरस्त किया जावें।

अभिभाषक विपक्षी ने निगरानीकर्ता की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत देवडावास पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.06.2024 को अपने संकल्प संख्या 23 से भूमि खसरा नम्बर 555 वाके ग्राम जलेरी तहसील दूनी में 1611 वर्गफीट यानि 179 वर्गगज का पट्टा क्रमांक 02 विपक्षी को जारी किया गया है, वह सही एवं विधिसम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व समस्त कानूनी कार्यवाही की गई है। पट्टा जारी किए जाने से पूर्व पटवारी पटवार मण्डल देवडावास से उक्त भूमि के आबादी भूमि होने का प्रमाण पत्र लिया गया है जो पट्टा पत्रावली में संलग्न है। ग्राम पंचायत की मौका निरीक्षण समिति की मौका रिपोर्ट में भी अंकित हैं कि उक्त भूमि आबादी भूमि है। विपक्षी का मकान रास्ते पर न होकर आबादी भूमि खसरा नम्बर 555 पर स्थित है। विपक्षी ने उक्त पट्टा विलेख को उपपंजीयक दूनी के यहां पंजीबद्ध करवा लिया एवं पंजीकृत पट्टे की निगरानी सिविल न्यायालय में ही पेश की जा सकती है। उक्त निगरानी चलने योग्य नहीं है। अतः निगरानी निगरानीकर्ता खारिज की जाकर विपक्षी को जारी पट्टा यथावत रखा जावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली से स्पष्ट होता हैं कि ग्राम पंचायत देवडावास पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.06.2024 को अपने संकल्प संख्या 23 से भूमि खसरा नम्बर 555 वाके ग्राम जलेरी तहसील दूनी में 1611 वर्गफीट यानि 179 वर्गगज का पट्टा कमांक 02 विपक्षी को जारी किया गया था। पट्टा जारी किए जाने से पूर्व पटवारी पटवार मण्डल देवडावास से उक्त भूमि के आबादी भूमि होने का प्रमाण पत्र लिया गया है जो पट्टा पत्रावली में संलग्न है। ग्राम पंचायत की मौका निरीक्षण समिति की मौका रिपोर्ट में भी अंकित हैं कि उक्त भूमि आबादी भूमि है। परन्तु पटवारी ने अब रिपोर्ट की हैं कि विपक्षी को जो पट्टा जारी किया गया था उस हेतु त्रुटिवश आबादी खसरा नं. 555 की रिपोर्ट दे दी गयी थी जबकि वास्तव में उक्त भूमि खसरा नं. 549 में है जो कि सिवायचक भूमि है एवं उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि के खसरा नम्बर 549 में स्थित होने व खसरा नम्बर 549 की किस्म सिवायचक होने के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किए है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह किस खसरा नम्बर में है एवं किस्म क्या है, यह अस्पष्ट है। अतः उक्त विवेचन के मध्यनजर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को पुनः जांच हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत देवडावास, पंचायत समिति देवली को इस आदेश से प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि विपक्षी को जारी किये गये पट्टे की भूमि संबंधी किस्म एवं वास्तविक खसरा नम्बर की पुनः जांच कर, तहसीलदार दूनी से खसरा नम्बर एवं किस्म संबंधित स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त कर यदि पट्टा नियम विरूद्ध जारी होना पाया जाता है, तो पुनः निगरानी पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति0 जिला कलेक्टर
टोंक